न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
003/2025(रसद) **(GCMS 2025/82)**	**21.04.2025**	**14.05.2025**

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये सुमन तिवारी, प्रवर्तन अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. पारसमल पिता गुलाबचन्द जायसवाल निवासी गिलुण्ड तहसील व जिला चित्तौड़गढ़। (मो. 9680234777)
2. विशाल पिता कैलाशचन्द्र धाकड निवासी सेमलपुरा तहसील बस्सी जिला चित्तौड़गढ़। (मो. 7357456593)
3. राकेश पिता लख्मीचन्द खटीक निवासी शंभुपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़। (मो. 9950001715)

विपक्षी

उपस्थिति :–		
	प्रवर्तन अधिकारी (श्रीमती सुमन तिवारी)	पैरोकार सरकार
	आरएस चौहान	विपक्षी 1, 2
	सूर्यपालसिंह	विपक्षी संख्या 3

प्रार्थना अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए सपठित MS & HSD ऑर्डर 2005 के तहत जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत्

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि प्रवर्तन अधिकारी सुमन तिवारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रार्थना अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए सपठित **MS & HSD** ऑर्डर 2005 में दिनांक 01.02.2025 को सचूना के आधार पर पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध व्यापार/परिवहन भण्डारण के संबंध में कोटा–बून्दी हाईवे मार्ग पर जोगणियां होटल के पीछे मौके पर की गई कार्यवाही में विपक्षीगण से जब्तशुदा कुल 1626 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय ड्रम एवं 4 मापक जार के निस्तारण हेतु आवेदन प्रस्तुत कर की और से पेश कर निवेदन किया गया कि विपक्षी द्वारा किया गया कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए सपठित **MS & HSD** ऑर्डर 2005 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय है, एवं अंत में प्रार्थना की गई कि अभिग्रहित जब्तशुदा सामग्री 1626 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय ड्रम एवं 4 मापक जार को राजसात करने की कृपा करें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। दिनांक 07.05.2025 को विपक्षीगण की और से उनके अधिवक्ता

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हाजिर आये एवं अधिकार पत्र पेश किये जो शामिल पत्रावली हैं। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा प्रकरण में कोई लिखित जवाब/अभिवचन प्रस्तुत नहीं कर सीधे बहस पत्रावली का निवेदन किया गया।

प्रकरण में राकेश दायमा पिता लख्मीचन्द दायमा निवासी शंभुपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने पुलिस थाना कोतावली चित्तौड़गढ़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 052/2025 दिनांक 01.02.2025 अपराध अन्तर्गत धारा 3 व 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1995 में जब्तशुदा वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या **RJ 09 GE 4166** की सिपुर्दगी बाबत् प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 497–503 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत पेश किया जो कि प्रकरण संख्या 017/2025(रि.वि.) पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अपने प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी ने निवेदन किया गया कि प्रार्थी पुलिस थाना कोतवाली चित्तौड़गढ़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट 052/2025 दिनांक 01.02.2025 अपराध अन्तर्गत धारा 3 व 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1995 में जब्तशुदा वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या **RJ 09 GE 4166** के पंजीकृत स्वामी होना अवगत कराया हैं। उक्त वाहन को पुलिस थाना कोतवाली चित्तौड़गढ़ द्वारा अपनी तहवील में लिया गया हैं, अतः प्रार्थी वाहन को अधिकृत स्वामी की सिपुर्दगी में दिलवाया जावें। प्रकरण में कोई आवश्यकतानुसार हो तो आपके आदेशानुसार प्रार्थी उपस्थित हो जाउंगा एवं प्रार्थना की गई कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के वाहन वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या **RJ 09 GE 4166** को सिपुर्द कराये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 497–503 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ एवं पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली चित्तौड़गढ़ से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 497–503 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 पर टिप्पणी/अभिमत प्राप्त किया गया। इस पर थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली चित्तौड़गढ़ से पत्रांक/2739 दिनांक 06.05.2025 से टिप्पणी/अभिमत एवं अनुसंधान पत्रावली प्रेषित की गई है, पत्र प्रकरण संख्या 017/2025(रि.वि.) में शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर हैं एवं अनुसंधान पत्रावली रिकार्ड पर होकर हम किता है। थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली चित्तौड़गढ़ द्वारा अवगत कराया गया कि जब्तशुदा वाहन के अनुसंधान किया जा चुका है एवं उक्त वाहन की कोई आवश्यकता नहीं है।

हस्तगत दोनो प्रकरणों के पुलिस थाना सदर निम्बाहेडा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 052/2025 दिनांक 01.02.2025 अपराध अन्तर्गत धारा 3 व 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1995 में जब्तशुदा वाहन के निस्तारण का प्रश्न निहित हैं, ऐसी स्थिति उक्त दोनों प्रकरणों में एक साथ सुनवाई की जाकर निर्णय पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है, अतः दोनों में एक साथ सुनवाई की जाकर उभयपक्षकारान द्वारा की गई बहस पत्रावली को सुना गया।

सर्वप्रथम पैरोकार सरकार आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि विपक्षी द्वारा अवैध रूप से बाहरी राज्यों से पेट्रोलियम पदार्थ यहां लाकर अन्य टैंकरों में निकाल कर खरीद फरोक्त का धन्धा करना तथा पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध परिवहन एवं भण्डारण करने के साथ ही अवैध तरीके से विक्रय करना,

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पेट्रोलियम पदार्थ भरने तथा खाली करने के उपकरणों को अवैध तरीके से रखने का किया गया कृत्य पेट्रोलियम पदार्थ की अवैध रूप से कालाबाजारी करने से संबंधित होने एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात करने का आदेश फरमाया जावे।

इस पर विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी (प्रार्थना पत्र 017/2025(रे.वि.) द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि प्रार्थी वाहन का अधिकृत स्वामी है एवं प्रकरण में वाहन की कोई आवश्यकता नहीं है एवं आवश्यकतानुसार होने पर आदेशानुसार प्रार्थी उपस्थित हो जाऊंगा एवं प्रार्थना की गई कि प्रार्थना-पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के वाहन वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या **RJ 09 GE 4166** को सिपुर्द कराये जाने का आदेश प्रदान करावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता विपक्षी ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की।

हमने पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर चिंतन-मनन किया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रकरण में प्रार्थी पैरोकार सरकार इस तथ्य को निर्विवाद रूप से साबित कराया गया है कि उक्त जब्तशुदा वाहन में पेट्रोलियम पदार्थ हैं जिसे उभयपक्ष द्वारा स्वीकार किया गया है, जबकि प्रार्थी (प्रार्थना पत्र 052/2025 (रे.वि.)) द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रकरण में जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ से विपक्षी का कोई संबंध/सरोकार नहीं है एवं विपक्षी द्वारा जब्तशुदा वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर संख्या **RJ 09 GE 4166** को सिपुर्द कराये जाने की प्रार्थना की गई है, ऐसी स्थिति में वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या **RJ 09 GE 4166** प्रार्थी राकेश दायमा पिता लख्मीचन्द दायमा निवासी शंभुपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ जो कि वाहन का अधिकृत स्वामी है को सिपुर्द किया जाना उचित प्रतीत होता है। इसके साथ ही प्रकरण विपक्षी द्वारा डीजल पेट्रोलियम पदार्थ से किसी भी प्रकार का कोई संबंध/सरोकार नहीं होना अवगत कराया गया है, जिससे विपक्षी द्वारा अपने पास रख-रखाव भण्डारण करने, विक्रय करने तथा परिवहन करने संबंधी कोई वैध दस्तावेज व लाईसेंस नहीं होना जाहिर होता, ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं साक्ष्य के आधार पर विपक्षी द्वारा बाहर से अवैध रूप से टैंकरों में डीजल भरकर लाना तथा अवैध तरीके से अपने कब्जे में रखना, विक्रय करना, पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध परिवहन, भण्डारण तथा उनकी कालाबाजारी करना प्रमाणित/सिद्ध पाया जाने से जब्तशुदा 1626 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय ड्रम एवं 4 मापक जार एवं अन्य सामग्री आदि राजसात किये जाने योग्य है, ऐसी स्थिति में पुलिस थाना कोतवाली चित्तौड़गढ़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट 052/2025 दिनांक 01.02.2025 अपराध अन्तर्गत धारा 3 व 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1995 में जब्तशुदा सामग्री का निस्तारण किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम का निस्तारण करते हुए पुलिस थाना कोतवाली चित्तौड़गढ़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 052/2025 दिनांक 01.02.2025 अपराध अन्तर्गत धारा 3 व 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1995 में जब्तशुदा वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर **RJ 09 GE 4166** को प्रार्थी वाहन स्वामी राकेश दायमा पिता लख्मीचन्द दायमा निवासी शंभुपुरा तहसील व जिला

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

चित्तौड़गढ़ को रूपये **10,00,000/-** अक्षरे दस लाख रूपये के जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा पर सिपुर्द किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा प्रकरण में जब्तशुदा 1626 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय ड्रम एवं 4 मापक जार एवं अन्य सामग्री को राजसात किये जाने का आदेश दिया जाता है। जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली चित्तौड़गढ़ से प्रकरण में जब्तशुदा 1626 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय ड्रम एवं 4 मापक जार एवं अन्य सामग्री आदि प्राप्त कर, नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़, थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली चित्तौड़गढ़ को सूचनार्थ, पालनार्थ भिजवाई जावें। अनुसंधान पत्रावली थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली को लौटाई जावे। निर्णय की प्रमाणित प्रति पत्रावली संख्या 017/2025 (रे.वि.) उनवानी राकेश बनाम सरकार वगैराह में रखी जावें। प्रकरण में प्रार्थी राकेश दायमा पिता लख्मीचन्द दायमा निवासी शंभुपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा वांछित जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण संख्या 017/2025(रे.वि.) उनवानी राकेश बनाम सरकार वाहन सिपुर्दगी बाबत् आदेश जारी किया जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक <u>14.05.2025</u> को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official